


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नरेश कुमार जैन पुत्र राजेन्द्र कुकुलोल मरूधर मार्केट मेवाड़ी गेट के अन्दर ब्यावर जिला अजमेर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रोहट प्रथम सूचना अपील संख्या :- 35/2022 जीसीएमएस नं. :- 2022/37 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
------------------------	---	--

<p>25.02.2022</p>	<p style="text-align: center;">--: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित ।</li> <li>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 13.9.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रोहट से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।</li> <li>3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रोहट ने जरिये पत्रांक/भू.अ./2022/166 दिनांक 24.01.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी को जरिये पत्रांक/भू.अ./2022/2458 दिनांक 24.12.2021 के 220 रूपये के टिकट भिजवाकर सूचना प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया है। तथा शुल्क टिकट प्राप्त होती ही वांछित सूचना की नकले भिजवा दी जायेगी। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।</li> <li>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रोहट द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि रेस्पोंडेंट द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है। तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है।</li> <li>5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।</li> <li>6. निर्णय आज दिनांक 25.02.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</li> </ol> <p style="text-align: center;">       नामित मेहता      प्रथम अपीलीय अधिकारी      लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली   </p>	
-------------------	--	--